महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक

कार्यवृत्त

20 जुलाई, 2006

सुबह 10:30 बजे

सभा कक्ष संख्या, 101, पहली मंजिल,

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नयी दिल्ली

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)

(17-बी, श्री अरविंदो मार्ग, नयी दिल्ली-16)

दिनांक : 20 जुलाई 2006 *(सुबह 10:30 बजे)*

कार्यवृत्त

मद सं.	*विवरण*
1.	विद्या-परिषद् की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।
2.	विद्या-परिषद् की छठी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन हेतु विशेषज्ञता निर्धारिण।
4.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वयस्क, सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम के प्रस्ताव पर विचार।
5.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की सातवीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 20 जुलाई 2006 को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 17-बी, श्री अरविंदो मार्ग, नयी दिल्ली-110 016 के सभा-कक्ष सं. 101 में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा।
2)	प्रो. इंद्रनाथ चौधुरी	:	सदस्य
3)	प्रो. उदय नारायण सिंह	:	सदस्य
4)	प्रो. ए. अरविंदाक्षण	:	सदस्य
5)	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
6)	प्रो. गंगा प्रसाद विमल	:	सदस्य
7)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
8)	प्रो. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
9)	प्रो. नित्यानंद तिवारी	:	सदस्य
10)	प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय	:	सदस्य
11)	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
12)	डा. भास्कराचार्य त्रिपाठी	:	सदस्य
13)	श्रीमती मृदुला गर्ग	:	सदस्य
14)	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
15)	प्रो. राम गोपाल गुप्ता	:	सदस्य
16)	प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी	:	सदस्य

अन्य सदस्य – श्री एस. आर. फारूकी, प्रो. इंदिरा गोस्वामी, प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी, डा. (श्रीमती) माजिदा असद, श्री मधु मंगेश कर्णिक तथा डा. रामदयाल मुण्डा अन्यत्र पूर्व प्रतिश्रुत होने के कारण बैठक में उपस्थित न हो सके।

मद सं. 1 :

विद्या-परिषद् की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन :

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की छठी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 30 मई, 2006 को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 17 बी., श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई थी।

इस बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेज दिया गया था। किसी भी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः विद्या-परिषद् कृपया छठी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन करें।

विद्या-परिषद् ने कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन किया। अनुमोदित कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न है।

***अनुलग्नक** : विद्या-परिषद् की छठी बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न (पृष्ठ सं. 3 से 9)*

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की छठी बैठक

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की छठी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 30 मई 2006 को सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 17-बी, श्री अरविंदो मार्ग, नयी दिल्ली-110 016 के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति, म.ग.अ.हि.वि., वर्धा।
2)	श्रीमती मृदुला गर्ग	:	सदस्य
3)	श्रीमती इंदिरा गोस्वामी	:	सदस्य
4)	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
5)	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
6)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
7)	प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी	:	सदस्य
8)	प्रो. इंद्रनाथ चौधुरी	:	सदस्य
9)	प्रो. ए. अरविंदाक्षण	:	सदस्य
10)	प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय	:	सदस्य
11)	प्रो. राम गोपाल गुप्ता	:	सदस्य
12)	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
13)	प्रो. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
14)	डा. भास्कराचार्य त्रिपाठी	:	सदस्य
15)	प्रो. नित्यानंद तिवारी	:	सदस्य
16)	प्रो. गंगा प्रसाद विमल	:	सदस्य

अन्य सदस्य – डा. (श्रीमती) माजिदा असद, डा. रामदयाल मुण्डा, श्री मधु मंगेश कर्णिक, प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, प्रो. उदय नारायण सिंह तथा श्री एस. आर. फारूकी अन्यत्र पूर्व प्रतिश्रुत होने के कारण उपस्थित न हो सके।

तदुपरांत कार्यसूची में दिये गये विषयों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

मद सं. 1. विद्या-परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन :

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की छठी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को सुबह 11:00 बजे इण्डिया इण्टरनेशनल सेण्टर, नयी दिल्ली में सम्पन्न हुई थी।

इस बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेज दिया गया था। किसी भी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः विद्या-परिषद् कृपया कार्यवृत्त का अनुमोदन करे।

विद्या-परिषद् ने कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन किया। अनुमोदित कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न है।

मद सं. 1. विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विद्या-परिषद् की चौथी बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 14 जुलाई 2005 को सुबह 11:00 बजे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नयी दिल्ली के सभा-कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को यथासमय भेज दिया गया था। किसी भी सदस्य से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, निवेदन है कि विद्या-परिषद् कार्यवृत्त का अनुमोदन करे।

विद्या-परिषद् ने कार्यवृत्त का अनुमोदन किया। अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

मद सं. 2. विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट :

विद्या-परिषद् ने की गई कार्रवाई का अवलोकन कर निम्न सुझावों के साथ इसके स्वीकृति प्रदान की :

मद सं.	विषय एवं निर्णय	की गई कार्रवाई
6	**भाषा-केन्द्र में शोधरत छात्रा को पी-एच.डी. उपाधि देने के संदर्भ में निर्णय** विद्या-परिषद् ने पूरे तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया कि इस संदर्भ में कुलपति कुछ विशेषज्ञों की एक समिति गठित करें जो इसके वैधानिक एवं अन्य सभी पहलूओं को देखते हुए अपनी अनुशंसाएँ दे। इन अनुशंसाओं को विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।	*नियमानुसार कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं की रिपोर्ट एवं संबद्ध अन्य विवरण विचारार्थ प्रस्तुत है।*
सुझावः	**बैठक में प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं का अवलोकन करने के बाद विद्या-परिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले में एक प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाते हुए अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत किया जाये।**	
7	**दूर शिक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित 'अनुवाद प्रौद्योगिकी' में एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा 'जनसंचार माध्यम' में एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्ष 2006 से आरंभ करने का अनुमोदनः** विषय विशेषज्ञों की राय लेकर संशोधित पाठ्यक्रम अगली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।	*संशोधित पाठ्यक्रमों के प्रारूप अनुमोदनार्थ संलग्न है।*
सुझाव :	**विद्या-परिषद् ने संशोधित पाठ्यक्रमों के प्रारूपों का अवलोकन कर यह सुझाव दिया कि पाठ्य-सामग्री तैयार होने के बाद ही ये पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं।**	

8	**विश्वविद्यालय में चल रहे नियमित पाठ्यक्रमों – एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य), एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) एवं एम.ए. (स्त्री अध्ययन) तथा कुछ नये स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को दूर शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2007 से शुरू करने का प्रस्तावः** विद्या-परिषद् ने तीसरी बैठक में दूर शिक्षा के तहत बी.ए. पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम अभी शुरू न किए जाने का निर्णय लिया। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि दूर शिक्षा के अन्तर्गत पाँच केन्द्रों–दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में 'अनुवाद प्रौद्योगिकी' एवं 'जनसंचार माध्यम' विषयों में दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम ही अभी आरंभ किए जायें। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय में चल रहे एम.ए. हिन्दी (तुलनात्मक साहित्य), एम.ए. (अहिंसा एवं शांति अध्ययन) और एम.ए. (स्त्री अध्ययन) विषयों के पाठ्यक्रमों को दूर शिक्षा के अन्तर्गत भी 2007 से शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।	*कार्रवाई चल रही है। केन्द्र खोलने के संदर्भ में कुलाध्यक्ष से स्वीकृति मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।*
सुझाव :	**विद्या-परिषद् ने कार्रवाई को नोट कर यह सुझाव दिया कि पाठ्य-सामग्री तैयार कर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं और पाठ्य-सामग्री को विद्या-परिषद् के अवलोकनार्थ भी प्रस्तुत किया जाये।**	
9	**भदंत आनंद कौशल्यायन बौद्ध साहित्य अध्ययन पीठ की स्थापना का प्रस्ताव :** इस संदर्भ में पूर्ण विवरण के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	*प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।*
सुझाव :	**प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या-परिषद् ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए आर्थिक सहायता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संपर्क करने की अनुशंसा की।**	

मद सं. 3. भाषा-केन्द्र, लखनऊ में चल रहे पाठ्यक्रमों एम.ए. हिन्दी भाषा, साहित्य और अनुवाद तथा एम.फिल. के पाठ्यक्रमों की कार्योत्तर स्वीकृति :

भाषा-केन्द्र, लखनऊ में पिछले 3 साल से चल रहे पाठ्यक्रम विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने प्रस्तुत किए गए पाठ्यक्रमों को कार्योतर स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया कि इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वर्ष 2006 में परीक्षा लेने के बाद आगे इन विषयों में विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाये।

अनुलग्नक : अनुमोदित पाठ्यक्रमों के प्रारूप संलग्न हैं।

1. *अनुवाद में उच्च स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम* *(पृष्ठ सं. 36-37)*
2. *एम.ए. हिन्दी (भाषा, साहित्य और अनुवाद)* *(पृष्ठ सं. 38-47)*
3. *एम.फिल. पाठ्यक्रम* *(पृष्ठ सं. 48-57)*

मद सं. 4. भाषा-केन्द्र तथा परिसर में चल रहे पाठ्यक्रमों के अंकपत्रों, उपाधियों तथा प्रमाण-पत्र आदि के प्रारूपों पर पुर्नविचार :

भाषा-केन्द्र में चल रहे अनुवाद में उच्च स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंकतालिका विद्या-परिषद् द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें मामूली संशोधन के बाद प्रस्तुत किया गया है तथा एम.ए./एम.फिल. पाठ्यक्रमों की अंकतालिका और छमाही अंक-पत्र के प्रारूप विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर श्रेणी के जो विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं का अंतिम ग्रेड विवरण प्रमाणपत्र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट विद्या-परिषद् द्वारा दूसरी बैठक में अनुमोदित किया गया था, में कुछ मामूली संशोधन की आवश्यकता के अनुसरण में प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही एम.फिल. पाठ्यक्रम का अंतिम ग्रेड विवरण तथा एम.ए. पाठ्यक्रम का छमाही ग्रेड विवरण का प्रारूप भी अनुमोदन हेतु संलग्न है।

इसके साथ ही विद्या-परिषद् कृपया विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की मूल्यांकन पद्धति निम्न आधार पर स्वीकृति प्रदान करें :

1. *विश्वविद्यालय में भाषा-केन्द्र, लखनऊ में संचालित पाठ्यक्रमों को छोड़कर अभी तक सभी पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एम.फिल. के उपलब्ध पाठ्यक्रम जो विद्या-परिषद् द्वारा अनुमोदित हैं, में भी एम.फिल. पाठ्यक्रम 22 क्रेडिट्स का है, ऐसा उल्लिखित है। ऐसी दशा में एम.फिल. पाठ्यक्रम की मूल्यांकन पद्धति क्रेडिट के आधार पर की जाय।*
2. *भाषा-केन्द्र, लखनऊ द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन पद्धति अंकों के आधार पर की गयी है, विवरणिका में इस संदर्भ में विस्तृत विवरण उपलब्ध है। अतः वहाँ की परिस्थितियों एवं अब तक के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए विशेष स्थिति में वहाँ संचालित पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन पद्धति अंकों के आधार पर की जाय।*

विद्या-परिषद् ने प्रस्तुत किए गए प्रारूपों का अवलोकन कर सहमति प्रदान की।

अनुलग्नक : 1 *भाषा-केन्द्र के लिए अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र के प्रारूप* *(पृष्ठ सं. 59-62)*
2 *विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे एम.ए. पाठ्यक्रम के छमाही (पृष्ठ सं. 63-66)*
तथा अंतिम ग्रेड विवरण प्रारूप तथा एम.फिल. अंकतालिका एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के प्रारूप

मद सं. 5. विश्वविद्यालय के वर्तमान चार विद्यापीठों के अतिरिक्त दो अतिरिक्त विद्यापीठ शुरू करने पर विचार :

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार इस विश्वविद्यालय में चार विद्यापीठ होंगे—1. भाषा विद्यापीठ, 2. साहित्य विद्यापीठ, 3. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ और 4. संस्कृति विद्यापीठ। परंतु वर्तमान स्थितियों में हिन्दी को सूचना-प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के अध्ययन से जोड़ने के लिए 2 नए विद्यापीठों को आरंभ करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के सामने रखा जाता है। ये विद्यापीठ होंगे :

1. *प्रबंधन विद्यापीठ (School of Management)*
2. *प्रौद्योगिकी विद्यापीठ (School of Technology)*

विद्या-परिषद् ने अनुमति प्रदान की।

मद सं. 6. MBA पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव :

विश्वविद्यालय के प्रस्तावित प्रबंधन विद्यापीठ के अंतर्गत M.B.A. पाठ्यक्रम (हिन्दी माध्यम से) शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद सैद्धांतिक सहमति दी और यह निर्णय लिया कि एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए पहले आवश्यक पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-सामग्री हिन्दी में तैयार कराई जाये।

मद सं. 7. विश्वविद्यालय में B.Tech. (सूचना प्रौद्योगिकी) शुरू करने पर विचार :

हिन्दी को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के प्रस्तावित प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अंतर्गत B.Tech. (सूचना प्रौद्योगिकी) हिन्दी माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यह निर्णय लिया गया कि सूचना-प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले मौलिक रूप से हिन्दी में उच्च-स्तरीय पाठ्य-पुस्तक तैयार की जाये।

मद सं. 8. विश्वविद्यालय में नियमित एवं दूर शिक्षा के अंतर्गत B.Ed. और D.Ed. शुरू करने पर विचार :

हिन्दी माध्यम से भाषा, समाज विज्ञान एवं मानविकी विषयों के अध्यापन के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग को दृष्टि में रखकर और शिक्षा मंत्रालय के माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के सुझाव के अनुसार हिन्दी माध्यम से बी.एड. और डी.एड. नियमित व दूर शिक्षा के माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने प्रस्ताव स्थगित रखने का निर्णय लिया।

मद सं. 9. विश्वविद्यालय के 4 विद्यापीठों के अतिरिक्त पाँच केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव :

विश्वविद्यालय में पाँच केन्द्र (दूर शिक्षा केन्द्र, गांधी हिन्दी विश्व मैत्री केन्द्र, अनुवाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी अन्तरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केन्द्र तथा भारतवंशी अध्ययन केन्द्र) शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने दूर-शिक्षा केन्द्र हेतु अध्यादेश के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप का अवलोकन कर अनुमति प्रदान की तथा शेष प्रस्तुत केन्द्रों के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति देते हुए अनुवाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र को प्रौद्योगिकी विद्यापीठ के अन्तर्गत रखने का निर्णय लिया। यह भी संस्तुति दी कि इन केन्द्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवश्यक पद प्राप्त किये जाएँ। केन्द्रों के अध्यादेशों के प्रारूप संलग्न हैं।

अनुलग्नक :

1. दूर शिक्षा केन्द्र हेतु अध्यादेश के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप (पृष्ठ सं. 70-83)
2. गांधी हिन्दी विश्व मैत्री केन्द्र (पृष्ठ सं. 84-85)
3. अनुवाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (हिन्दी व अंग्रेजी प्रारूप) (पृष्ठ सं. 86-95)
4. महात्मा गांधी फ्यूजी-गुरुजी अंतरराष्ट्रीय शांति अध्ययन केंद्र (हिन्दी व अंग्रेजी प्रारूप) (पृष्ठ सं. 96-102)
5. भारतवंशी अध्ययन केन्द्र (पृष्ठ सं.103-106)

मद सं. 10. दूर शिक्षा के अंतर्गत पाँच केन्द्रों के अलावा प्रत्येक प्रांत में एक-एक अध्ययन केन्द्र बनाने का प्रस्ताव तथा दूर शिक्षा के अंतर्गत कुछ नए पाठ्यक्रम चलाए जाने की स्वीकृति :

विद्या-परिषद् ने पहले दूर शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए पाँच क्षेत्रीय केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया था जो अब कुलाध्यक्ष के अनुमोदनार्थ भेजा गया है। चूंकि दूर शिक्षा पाठ्यक्रम अगले सत्र में ही शुरू करना है इसलिए निवेदन है कि प्रत्येक प्रांत में एक-एक अध्ययन केन्द्र बनाने तथा दूर शिक्षा के अंतर्गत कुछ नए पाठ्यक्रम चलाए जाने की स्वीकृति दी जाए। इस बारे में गठित विशेषज्ञों की उपसमिति की रिपोर्ट संलग्न है।

अनुलग्नक : विशेषज्ञों की उपसमिति की रिपोर्ट *(पृष्ठ सं. 108-110)*

विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के निर्णय के अनुसरण में इस बैठक में मद सं.-2 में पिछले कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई के अंतर्गत दूर शिक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय में एक वर्षीय स्नातकोत्तर

डिप्लोमा पाठ्यक्रम–1. "अनुवाद प्रौद्योगिकी", 2. "जनसंचार माध्यम" वर्ष 2006 से आरंभ किए जाने हेतु प्रारूप प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही दूर शिक्षा के संबंध में गठित समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में निम्न पाठ्यक्रम भी दूर शिक्षा के अंतर्गत चलाए जाने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :

1. *विश्वभाषा हिन्दी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम – विद्या-परिषद् ने दूसरी बैठक में अन्य पाठ्यक्रम के साथ के साथ विश्वभाषा हिन्दी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम विदेशी विद्यार्थियों के लिए चलाया जाना स्वीकृत किया था। इस पाठ्यक्रम में कुछ आवश्यक संशोधन कर प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत है। विद्या-परिषद् कृपया इसे दूर शिक्षा के अंतर्गत चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान करें।* ***(पृष्ठ सं.111)***
2. *विश्वभाषा हिन्दी का छह माह का नवीकरण पाठ्यक्रम – बिंदु 1 के अनुसरण में दिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत विश्वभाषा हिन्दी का छह माह का नवीकरण पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।*
   यह प्रस्ताव विद्या-परिषद् की तीसरी बैठक में रखा गया था जिसमें यह निर्णय हुआ था कि उक्त पाठ्यक्रम को चलाने के लिए भारत सरकार से आवश्यक आर्थिक सहायता की अपेक्षा की जाय। अब हमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (ICCR) से इसके लिए आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। इसके मद्देनजर विद्या-परिषद् से अनुरोध है कि उक्त पाठ्यक्रम को चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान करें – इसके लिए प्रारूप संलग्न है। ***(पृष्ठ सं. 112-114)***
3. *समर कोर्स इन हिन्दी एज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज़ – उक्त पाठ्यक्रम का प्रारूप भी विद्या-परिषद् के समक्ष विचारार्थ संलग्न है।* ***(पृष्ठ सं. 115)***

विद्या-परिषद् ने प्रस्तावित अध्ययन केन्द्रों के लिए स्वीकृति प्रदान की और पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया। अनुमोदित केन्द्र तथा पाठ्यक्रम उल्लिखित पृष्ठानुसार संलग्न है।

मद सं. 11. वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रस्तावित संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / सेमिनार के आयोजन का अनुमोदन :

विश्वविद्यालय की स्थापना के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फरवरी, 07 में एक अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका विषय होगा 'हिन्दी विश्व मैत्री की भाषा' संगोष्ठी में जनसंचार, फ़िल्म, अनुवाद, तुलनात्मक साहित्य, स्त्री विमर्श, गांधी चिंतन, संस्कृति आदि विषय शामिल होंगे। इस संगोष्ठी के लिए करीब रु.10,00,000/- (रुपए दस लाख) का अनुमानित खर्च होगा। इस संगोष्ठी के अलावा वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक विद्यापीठ में निम्नलिखित विषयों पर एक-एक कार्यशाला का आयोजन होगा :

1) *तुलनात्मक साहित्य की प्रविधि एवं प्रक्रिया – साहित्य विद्यापीठ*
2) *भाषा-प्रौद्योगिकी के बुनियादी सिद्धान्त – भाषा विद्यापीठ*
3) *हिन्दी में निर्वचन पाठ्यक्रम का स्वरूप – अनुवाद विद्यापीठ*
4) *शांति अध्ययन में बौद्ध, जैन एवं गांधीवादी चिंतन की प्रासंगिकता – संस्कृति विद्यापीठ*
5) *नारीवादी साहित्य-विमर्श – संस्कृति विद्यापीठ*
6) *जनसंचार माध्यमों में हिन्दी भाषा – संस्कृति विद्यापीठ*

इन कार्यशालाओं के लिए कुल छह लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

विद्या-परिषद् ने इसे स्वीकृति प्रदान की।

मद सं. 12. एम.ए. सांस्कृतिक पर्यटन-पाठ्यक्रम (नियमित पाठ्यक्रम) वर्ष 2007 से आरंभ करने का प्रस्ताव :

पर्यटन और हिन्दी के संबंध को देखते हुए एम.ए. सांस्कृतिक पर्यटन पाठ्यक्रम (नियमित पाठ्यक्रम) वर्ष 2007 से शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता मिलने पर पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया।

मद सं. 13. पी-एच.डी. के लिए बाहरी निर्देशकों (विश्वविद्यालय से बाहर के विशेषज्ञों) को बतौर सहनिर्देशक रखे जाने पर विचार :

विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बाहरी निर्देशकों (विश्वविद्यालय से बाहर के विशेषज्ञों) को बतौर सहनिर्देशक रखने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बाहरी निर्देशकों को सहनिर्देशक के रूप में रखा जाएगा, किन्तु जिन विषयों में अभी हमारे नियमित अध्यापक नहीं हैं उनमें बाहरी विशेषज्ञों को निर्देशक के रूप में रखने का भी प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यह भी प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है कि विश्वविद्यालय में निर्देशक बनने वाले व्यक्ति का न्यूनतम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का अनुभव हो, और स्तरीय प्रकाशन हो और स्वयं पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त हो।

प्रत्येक प्रोफ़ेसर अपने अधीन अधिकतम 6 विद्यार्थियों तथा रीडर 4 विद्यार्थियों और प्राध्यापक 3 विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर सकता है। यह प्रस्ताव भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विद्या-परिषद् ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

मद सं. 14. विश्व हिन्दी साहित्य का इतिहास लेखन की परियोजना :

हिन्दी के अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा की ओर से विश्व हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिन्दी साहित्य का एक नया इतिहास प्रकाशित करने की परियोजना विद्या-परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। यह इतिहास तीन भागों में होगा पहले भाग में मुख्य धारा का इतिहास होगा, दूसरे भाग में हिन्दीतर भाषा-भाषियों का योगदान होगा, तीसरे भाग में विदेशी लेखकों का योगदान का विवरण होगा। इस परियोजना के लिए अनुमानित व्यय करीब 20,00,000/- (बीस लाख रुपए) होगा।

निवेदन है कि विद्या-परिषद् इस परियोजना की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करें।

विद्या-परिषद् ने प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में एक परामर्श समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया। इस समिति में प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय, प्रो. इन्द्रनाथ चौधुरी, श्री गोविन्द मिश्र और प्रो. एस. तंकमणि अम्मा के साथ-साथ कुछ अन्य विशेषज्ञों को नामित करने का निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

मद सं. 15. M.Tech. भाषा प्रौद्योगिकी के विस्तृत पाठ्यक्रम का अनुमोदन :

M.Tech. पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् ने स्वीकृत किया था इसका विस्तृत पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ संलग्न है।

विस्तृत पाठ्यक्रम अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

बैठक की समाप्ति से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं प्रख्यात हिन्दी लेखक श्री निर्मल वर्मा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को सभी सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

बैठक की समाप्ति सभी सदस्यों द्वारा कुलपति को धन्यवाद देने तथा कुलपति द्वारा उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करने से हुई।

(प्रो. जी. गोपीनाथन)
अध्यक्ष एवं कुलपति
महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

मद सं. 2.

विद्या-परिषद् की छठी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट :

विद्या-परिषद् ने पाँचवीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई का अवलोकन कर उसे सहमति प्रदान की तथा कुछ बिन्दुओं के संदर्भ में अपने सुझाव एवं निर्णय दिए जिनका विवरण इस प्रकार है::

<table>
<tr><th>मद सं.</th><th colspan="2">विषय एवं निर्णय</th><th>की गई कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>मद सं. 2.</td><td colspan="2">विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट : विद्या-परिषद् ने की गई कार्रवाई का अवलोकन कर निम्न सुझावों के साथ इसके स्वीकृति प्रदान की :</td><td rowspan="9">कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td></td><td>मद सं. 6</td><td>विषय एवं निर्णय</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>भाषा-केन्द्र में शोधरत छात्रा को पी-एच.डी. उपाधि देने के संदर्भ में निर्णय : विद्या-परिषद् ने पूरे तथ्यों के आलोक में यह निर्णय लिया कि इस संदर्भ में कुलपति कुछ विशेषज्ञों की एक समिति गठित करें जो इसके वैधानिक एवं अन्य सभी पहलूओं को देखते हुए अपनी अनुशंसाएँ दे। इन अनुशंसाओं को विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।

की गई कार्रवाई : नियमानुसार कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं की रिपोर्ट एवं संबद्ध अन्य विवरण विचारार्थ प्रस्तुत है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>प्राप्त सुझाव के अनुपालन में सभी तथ्यों के अवलोकन के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाते हुए विद्या-परिषद् के निर्णयार्थ निम्न अनुशंसाएं की जाती हैं :
भाषा-केन्द्र के निदेशक - प्रो. वी. पी. जैन द्वारा सुश्री कविता बिसारिया का हिन्दी की अव्यय संरचना विषय में पी-एच.डी. हेतु वर्ष 2001-02 में पंजीयन किया गया था तथा उसके द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को तीन परीक्षकों के पास भेजा गया था जिनकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है तथा अब मौखिकी के लिए तीन परीक्षकों में से एक को चुना जाना है। यह सब कार्रवाई भाषा-केन्द्र में की गई थी और तत्कालीन निदेशक, प्रो. वी.पी. जैन का अपना निर्णय था, विश्वविद्यालय का नहीं। इसलिए उक्त तथ्य के आलोक में विद्या-परिषद् के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>श्री प्रदीप वाजपेयी को The mathematical & graphical study of Hindi soundsविषय में डा. वागीश शुक्ल के निर्देशन में शोध हेतु वर्ष 2002-03 में प्रवेश दिया गया था और अपने शोध का काफी कार्य कर चुके हैं। अतः इन्हें विशेषज्ञों की समिति के सामने प्रस्तुतिकरण करने का अवसर दिया जा सकता है और शोध कार्य की गुणवत्ता के मद्देनजर स्तर के अनुरूप शोध-छात्रवृत्ति भी दी जा सकती है। इस समय रु.6000/- प्रतिमाह इनको शोध कार्य हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>श्री पी.वी जगनमोहन को हिन्दी और तमिल क्रिया संरचना विषय में डा. एन. सुन्दरम के निर्देशन में शोध हेतु वर्ष 2001-02 में प्रवेश दिया गया था। इनके भी शोध कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है। अतः इनको भी विशेषज्ञों की समिति के सामने प्रस्तुतिकरण करने का अवसर दिया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>प्रो. वी.पी. जैन द्वारा बतौर संकायाध्यक्ष वर्ष 2004-05 में प्रवेश संबंधी प्रकाशित करवाये गये विज्ञापन के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा यह स्पष्टीकरण भी प्रकाशित करवाया गया था कि उक्त विज्ञापन के अनुसरण में जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, वे उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में यद्यपि एक छात्र श्री ईश्वर चंद तिवारी को दिया गया प्रवेश विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण के अनुसरण में मान्य नहीं बनता है किन्तु उसके द्वारा निर्धारित शुल्क राशि रु.4,000/- भाषा-केन्द्र में जमा करवाई गई है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>प्राप्त सुझाव</u> : बैठक में प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं का अवलोकन करने के बाद विद्या-परिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस मामले में एक प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाते हुए अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत किया जाये।</td></tr>
</table>

विद्या-परिषद् ने इस संदर्भ में निर्णय लिए :

(1) सुश्री कविता बिसारिया को विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. हेतु पंजीयन का इस आधार पर वैध मानते हुए विश्वविद्यालय में पी-एच.डी. के वर्तमान नियमों के अनुसार स्वीकृत पैनल बनाकर शोध प्रबंधकों को फिर से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अपनाई जाय तथा तदंतर परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा करने और मौखिकी हेतु अवसर दिया जाय।

(2) यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले कुछ समय से शोध कार्य कर रहे श्री प्रदीप बाजपेयी और श्री पी.वी. जगनमोहन को विशेषज्ञों की समिति के सामने प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाये और उन की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय इस संदर्भ में उन्हें शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की औपचारिक स्वीकृति दे तथा आवश्यक कार्रवाई करे। विद्या-परिषद् का यह भी मत था कि विद्यार्थियों के भविष्य के मद्देनजर उपरोक्त निर्णय लिए गए हैं किन्तु इसे प्रचलन न बनाया जाय।

(3) विद्या-परिषद् इस बात पर भी सहमत थी कि भाषा-केन्द्र में श्री ईश्वर चंद तिवारी को दिया गया प्रवेशअमान्य है और इस संदर्भ में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

	5	**विश्वविद्यालय के वर्तमान चार विद्यापीठों के अतिरिक्त दो अतिरिक्त विद्यापीठ शुरू करने पर विचार :** *महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार इस विश्वविद्यालय में चार विद्यापीठ होंगे–1. भाषा विद्यापीठ, 2. साहित्य विद्यापीठ, 3. अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ और 4. संस्कृति विद्यापीठ। परंतु वर्तमान स्थितियों में हिन्दी को सूचना-प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के अध्ययन से जोड़ने के लिए 2 नए विद्यापीठों को आरंभ करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के सामने रखा जाता है। ये विद्यापीठ होंगे :* 1. *प्रबंधन विद्यापीठ (School of Management)* 2. *प्रौद्योगिकी विद्यापीठ (School of Technology)* ***विद्या-परिषद् ने अनुमति प्रदान की।*** ***की गई कार्रवाई :*** *कार्य-परिषद् से सहमति प्राप्त हो गई है। कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव भेजा जा रहा है।* ***प्राप्त सुझाव : कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षा मंत्रालय की समिति के साथ हाल ही में हुई उनकी चर्चानुसार 'प्रबंधन' और 'प्रौद्योगिकी' हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई जाने के संबंध में मंत्रालय ने उनसे पूछा था और इस संबंध में कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजा जाना है। कुछ सदस्यों का मत था कि अगर सही परिवेश में देखें तो इसकी आवश्यकता है किन्तु अनुदित पाठ्य सामग्री न पढ़ाई जाय बल्कि यह मौलिक रूप में होनी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि हमें अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए और पूरे देश में जो प्रबंधन कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए हिन्दी में स्रोत सामग्री तैयार करनी चाहिए।***	*कार्रवाई की जा रही है।*
	8	**विश्वविद्यालय में नियमित एवं दूर शिक्षा के अंतर्गत B.Ed. और D.Ed. शुरू करने पर विचार :** *हिन्दी माध्यम से भाषा, समाज विज्ञान एवं मानविकी विषयों के अध्यापन के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग को दृष्टि में रखकर और शिक्षा मंत्रालय के माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के सुझाव के अनुसार हिन्दी माध्यम से बी.एड. और डी.एड. नियमित व दूर शिक्षा के माध्यम से शुरू करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।* ***विद्या-परिषद् ने बी-एड. के प्रस्ताव को अभी स्थगित रखने का निर्णय लिया तथा अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण में डी-एड. को दूर शिक्षा के माध्यम से शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में पूरा विवरण तैयार कर विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।*** ***कार्रवाई :*** *पाठ्यक्रम की मांग को देखते हुए* **B.Ed. और D.Ed.** *को दूर शिक्षा के अन्तर्गत शुरू करने का प्रस्ताव पुनः विद्या-परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।*	
सुझाव : पाठ्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया गया।			